

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16/2019 अपील

1. शंभू पिता कल्याण बलाई निवासी बनाम राजस्थान राज्य जरिये  
अरनियारासां तहसील शाहपुरा जिला तहसीलदार शाहपुरा जिला  
भीलवाड़ा भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

– रेस्पोंडेंट



**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**  
**विरुद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा बमामले**  
**प्रकरण सं0 06/2019 निर्णय दिनांक 17.05.2019**

उपस्थित –

1. श्री अम्बा लाल कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोंडेंट की ओर से

## निर्णय

दिनांक 04/10-2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा को बमामलें प्रकरण सं. 06/2019 निर्णय दिनांक 17.05.2019 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी अरनियारासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी भंवर लाल पुत्र मिश्रीलाल द्वारा अरनियारासा में सरकारी बिलानाम आ.सं. 430 रकबा 0.0003 हैक्ट. किस्म गैमु. टंकी भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर व्यावसायिक प्रयोजन से उपयोग हेतु केबिन रखकर अतिक्रमण किया है। जिस आधार पर प्रार्थी को धारा 91(3) का नोटिस जारी किया जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। जिस स्थान पर अपीलाण्ट की कैबिन रखी होना बताया है वह स्थान अपीलाण्ट का पटटेशुदा स्थान हैं तथा उक्त भूमि आबादी हल्का में स्थित है तथा अपनी पट्टाशुदा भूमि में ही अपीलांट ने केबिन लगाकर आजीविका अर्जित कर परिवार का पेट पालता है। अपीलांट ने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, ना अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 17.05.19 को नोटिस जारी किया गया व उक्त दिनांक को जब तक अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पहुंचा तब तक उक्त अपीलाधीन आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के कौरम में भी वार्ड पंचों द्वारा अपात्ति पेश कर रखी है लेकिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा (राज.)

सरपंच पति जो कि अपीलांट से द्वेषता रखता है की हठधर्मिता से अपीलांट की वर्षों पुरानी पट्टेशुदा जमीन पर लगी उक्त केबिन जो कि अपीलांट की आजीविका का एकमात्र साधन है, को अपने दुराशय की पूर्ति करने के लिए हटाना चाहते है जो न्यायोचित नहीं है। इस कारण निर्णय अपास्त योग्य है। निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण सं. 06/2019 तहसीलदार शाहपुरा सरकार बनाम भंवरलाल में पारित निर्णय दिनांक 17.05.19 को अपास्त किया जाने का आदेश किया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.06.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिस स्थान पर अपीलाण्ट की कैबिन रखी होना बताया है वह स्थान अपीलाण्ट का पट्टेशुदा स्थान है तथा उक्त भूमि आबादी हल्का में स्थित है तथा अपनी पट्टेशुदा भूमि में ही अपीलांट ने कैबिन लगाकर आजीविका अर्जित कर परिवार का पेट पालता है। अपीलांट ने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, ना अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 17.05.19 को नोटिस जारी किया गया व उक्त दिनांक को जब तक अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पहुंचा तब तक उक्त अपीलाधीन आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण सं. 06/2019 तहसीलदार शाहपुरा सरकार बनाम भंवरलाल में पारित निर्णय दिनांक 17.05.19 को अपास्त किया जाने का आदेश किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बिलानाम गेमु. टंकी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि जिस स्थान पर अपीलाण्ट की कैबिन है वह स्थान अपीलाण्ट का पट्टेशुदा स्थान है तथा उक्त भूमि आबादी हल्का में स्थित है, किन्तु अपीलार्थी ने उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है एवं बापी पट्टा किस आराजी पर दिया गया है? इसका उल्लेख भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि अपीलार्थी ने ग्राम अरनियारासा की बिलानाम आराजी नं. 430 रकबा 0.0003 हैक्ट. किस्म गेमु. टंकी पर अतिक्रमण कर रखा है। नियमानुसार नोटिस जारी कर अपीलार्थी को अवसर प्रदान किया गया। बिलानाम गेमु. टंकी भूमि नियमन योग्य नहीं है। जिस फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय भूमि पर



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
नीलवाड़ा (राज.)

अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध शास्ति राशि 50/-रूपये आरोपित कर अतिक्रमी को राजकीय भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया हैं, जो युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

### आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती हैं। तहसीलदार शाहपुरा के प्रकरण सं. 06/2019 निर्णय दिनांक 17.05.2019 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/05/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)  
अति. जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा (राज.)